International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना के प्रति जागरूकता का अध्ययन (सागर जिले के संदर्भ में)

प्रशांत भोजक
शोधकर्ता, समाज विज्ञान अध्ययनशाला, तक्षशिला परिसर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर (म.प्र.)
डॉ. भावना त्रिवेदी (नायक)
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

सारांश
भारतीय समाज में जाति–आधारित असमानता, सामाजिक बहिष्करण और अवसरों की विषमता ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण समस्याएँ रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार के रूप में स्वीकार किया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण तथा आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार और प्रतिनिधित्व के अवसरों तक पहुँच प्रदान करना है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य मध्यप्रदेश के सागर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर की संकल्पना के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना है। अध्ययन में उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, आयु, निवास क्षेत्र, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, आरक्षण के उद्देश्य के प्रति समझ, क्रीमी लेयर की जानकारी, दृष्टिकोण तथा सूचना के स्रोतों को विश्लेषण के प्रमुख आयामों के रूप में सम्मिलित किया गया है। विश्लेषण के लिए 182 उत्तरदाताओं को लिया गया है।

निष्कर्ष में 43.41% उत्तरदाता क्रीमी लेयर की संकल्पना के बारे में सीमित जानकारी रखने वाले हैं, जबकि 20.88% को स्पष्ट जानकारी है। इसी प्रकार, 33.52% उत्तरदाताओं के लिए सोशल मीडिया एवं इंटरनेट प्रमुख सूचना स्रोत हैं। जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता समझने के पक्ष में 50% उत्तरदाता कार्यक्रमों का प्रबल समर्थन करने वाले है। अध्ययन का व्यापक महत्त्व आरक्षण, संवैधानिक समानता, सामाजिक न्याय और क्रीमी लेयर संबंधी विमर्श को स्पष्ट रूप से समझने में है।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

शब्द–कुंजी– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण, क्रीमी लेयर, सामाजिक न्याय, संवैधानिक जागरूकता, प्राथमिक समंक, सागर जिला, मध्यप्रदेश।

1. परिचय

संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का सिद्धांत स्थापित करता है। अनुच्छेद 15(4) तथा 15(5) कुछ विशेष वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक रोजगार में पिछड़े वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक पहचान क्रमशः अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत अधिसूचित सूचियों से संबंधित है।

आरक्षण की प्रभावशीलता पर विचार करते समय यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि आरक्षित अवसरों का वितरण विभिन्न सामाजिक समूहों तक किस प्रकार पहुँचता है और संबंधित समुदायों के भीतर शैक्षणिक, आर्थिक तथा प्रतिनिधित्व संबंधी अंतर किस सीमा तक मौजूद हैं। इसी व्यापक विमर्श में क्रीमी लेयर की संकल्पना सामने आती है। इसका पारंपरिक प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के संदर्भ में अपेक्षाकृत उन्नत वर्गों की पहचान से संबंधित रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में इस संकल्पना की प्रयोज्यता, मानदंड और नीतिगत परिणामों को अलग संवैधानिक एवं न्यायिक संदर्भ में समझना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय के पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) निर्णय ने अनुसूचित जातियों के भीतर उप–वर्गीकरण की संवैधानिक संभावना को स्वीकार किया। न्यायालय के बहुमत ने स्पष्ट किया कि उप–वर्गीकरण के लिए पर्याप्त आधार और संबंधित समूहों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रमाण महत्त्वपूर्ण होंगे। निर्णय में क्रीमी लेयर पर व्यक्त न्यायाधीशों के विचारों को उप–वर्गीकरण के प्रश्न से अलग समझना आवश्यक है।

सागर जिले के संदर्भ में यह विषय इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षण संबंधी जानकारी केवल नीतिगत नियमों तक सीमित नहीं है। इसका संबंध लोगों की संवैधानिक समझ, शैक्षणिक अनुभव, सूचना स्रोतों, सामाजिक धारणाओं तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच से भी है। प्रस्तुत अध्ययन इसी संदर्भ में क्रीमी लेयर की संकल्पना के प्रति जागरूकता को विश्लेषित करने का प्रयास करता है।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

2. शोध समस्या का कथन

सागर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के संबंध में लोगों की जानकारी और धारणाओं का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि आरक्षण, क्रीमी लेयर और उप–वर्गीकरण से संबंधित चर्चाओं में कई बार अलग–अलग संवैधानिक अवधारणाओं को एक समान मान लिया जाता है। इससे नीतिगत नियमों, न्यायालय के निर्णयों और आरक्षण की वास्तविक प्रकृति के बारे में भ्रम उत्पन्न हो सकता है।

3. शोधपत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य मध्यप्रदेश के सागर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर की संकल्पना के प्रति जागरूकता का विश्लेषण करना है।

4. शोध क्षेत्रः मध्यप्रदेश का सागर जिला

प्रस्तुत अध्ययन का शोध क्षेत्र मध्यप्रदेश का सागर जिला है।



International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

5. शोधविधि

अध्ययन के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रारूप अपनाया गया है। अध्ययन का निर्धारित प्रतिदर्श 182 उत्तरदाता हैं। विश्लेषण के लिए आवृत्ति एवं प्रतिशत पद्धति का उपयोग किया गया है। आवृत्ति से किसी श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं की संख्या और प्रतिशत से कुल उत्तरदाताओं में उस श्रेणी के अनुपात का पता चलता है।

6. समंक विश्लेषण

तालिका 1

उत्तरदाताओं की आयु के अनुसार वितरण

आयु वर्ग (वर्ष)	आवृत्ति	प्रतिशत
18–25	42	23.08 %
26–35	58	31.87 %
36–45	47	25.82 %
46 एवं अधिक	35	19.23 %
कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

निर्धारित प्रतिदर्श–समंक में 26–35 वर्ष आयु वर्ग की आवृत्ति 58 (31.87%) है, जो अन्य आयु वर्गों की तुलना में सर्वाधिक है। 36–45 वर्ष आयु वर्ग में 47 (25.82%) तथा 18–25 वर्ष आयु वर्ग में 42 (23.08%) उत्तरदाता हैं। 46 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग की आवृत्ति 35 (19.23%) है। इस वितरण से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श–समूह में विभिन्न आयु वर्ग शामिल हैं।

तालिका 2

उत्तरदाताओं के निवास क्षेत्र के अनुसार वितरण

निवास क्षेत्र	आवृत्ति	प्रतिशत
ग्रामीण	108	59.34 %
नगरीय	74	40.66 %
कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

प्रतिदर्श–समंक में ग्रामीण उत्तरदाताओं की आवृत्ति 108 (59.34%) तथा नगरीय उत्तरदाताओं की आवृत्ति 74 (40.66%) है। ग्रामीण श्रेणी का हिस्सा अधिक है।

तालिका 3

शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वितरण

शैक्षणिक योग्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
प्राथमिक / माध्यमिक	32	17.58 %
उच्च माध्यमिक	43	23.63 %
स्नातक	61	33.52 %
स्नातकोत्तर	34	18.68 %
अन्य / औपचारिक शिक्षा नहीं	12	6.59 %
कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

प्रतिदर्श–समंक में स्नातक स्तर के उत्तरदाताओं की आवृत्ति 61 (33.52%) है, जो सर्वाधिक है। उच्च माध्यमिक स्तर के उत्तरदाताओं की आवृत्ति 43 (23.63%) और स्नातकोत्तर स्तर के उत्तरदाताओं की आवृत्ति 34 (18.68%) है। प्राथमिक / माध्यमिक श्रेणी में 32 (17.58%) तथा अन्य / औपचारिक शिक्षा नहीं श्रेणी में 12 (6.59%) उत्तरदाता हैं। यह वितरण शैक्षणिक पृष्ठभूमि की विविधता दिखाता है।

तालिका 4

व्यवसाय के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
विद्यार्थी	29	15.93 %
सरकारी / निजी नौकरी	48	26.37 %
स्वरोजगार / व्यवसाय	35	19.23 %
कृषि एवं मजदूरी	49	26.92 %
अन्य	21	11.54 %
कुल	182	100.00 %

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

प्रतिदर्श–समंक में कृषि एवं मजदूरी श्रेणी की आवृत्ति 49 (26.92%) है। सरकारी/निजी नौकरी श्रेणी में 48 (26.37%), स्वरोजगार/व्यवसाय में 35 (19.23%), विद्यार्थी श्रेणी में 29 (15.93%) तथा अन्य व्यवसायों में 21 (11.54%) उत्तरदाता हैं। व्यवसाय संबंधी वर्गीकरण जागरूकता के संभावित स्रोतों को समझने में सहायक है।

तालिका 5

क्रीमी लेयर की संकल्पना के प्रति जागरूकता

जागरूकता का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
संकल्पना की स्पष्ट जानकारी	38	20.88 %
नाम सुना है, लेकिन जानकारी सीमित है	79	43.41 %
संकल्पना की जानकारी नहीं	65	35.71 %
कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

इस तालिका में क्रीमी लेयर की संकल्पना के बारे में सीमित जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 79 (43.41%) है। स्पष्ट जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 38 (20. 88%) तथा जानकारी न रखने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 65 (35.71%) है। सीमित जानकारी वाली श्रेणी सबसे बड़ी है।

तालिका 6

आरक्षण के उद्देश्य के प्रति उत्तरदाताओं की समझ

आरक्षण का समझा गया प्रमुख उद्देश्य	आवृत्ति	प्रतिशत
सामाजिक न्याय	52	28.57 %
समान अवसर	44	24.18 %
प्रतिनिधित्व में सुधार	38	20.88 %
आर्थिक सहायता	27	14.84 %
निश्चित नहीं/अन्य	21	11.54 %
कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

प्रतिदर्श–समंक में सामाजिक न्याय को आरक्षण का प्रमुख उद्देश्य मानने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 52 (28.57%) है। समान अवसर को प्रमुख उद्देश्य मानने वाले 44 (24.18%) तथा प्रतिनिधित्व में सुधार को प्राथमिकता देने वाले 38 (20.88%) उत्तरदाता हैं। आर्थिक सहायता को प्रमुख उद्देश्य मानने वाले 27 (14.84%) और निश्चित नहीं/अन्य श्रेणी में 21 (11.54%) उत्तरदाता हैं। यह वितरण दर्शाता है कि आरक्षण के उद्देश्य को सामाजिक न्याय, समान अवसर, प्रतिनिधित्व और आर्थिक सहायता जैसे अलग–अलग दृष्टिकोणों से देखा जाता है।

तालिका 7

क्रीमी लेयर को एससी/एसटी आरक्षण से संबंधित मानदंडों के रूप में समझने की स्थिति

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ, स्पष्ट रूप से समझते हैं	31	17.03 %
कुछ हद तक समझते हैं	67	36.81 %
नहीं समझते	56	30.77 %
कह नहीं सकते	28	15.38 %
कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

प्रतिदर्श–समंक में कुछ हद तक समझ रखने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 67 (36.81%) है। संकल्पना को न समझने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 56 (30.77%), स्पष्ट रूप से समझने वालों की 31 (17.03%) और अनिश्चित उत्तरदाताओं की 28 (15.38%) है। यह तालिका जागरूकता की गहराई प्रस्तुत करती है।

तालिका 8

क्रीमी लेयर के संबंध में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	आवृत्ति	प्रतिशत
अपेक्षाकृत उन्नत परिवारों के लिए अलग मानदंड का समर्थन	46	25.27 %
ऐतिहासिक सामाजिक वंचना के कारण सामान्य नियम लागू करने पर चिंता	54	29.67 %
सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों दोनों पर विचार	57	31.32 %
निश्चित नहीं	25	13.74 %

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों दोनों पर विचार करने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 57 (31.32%) है। ऐतिहासिक सामाजिक वंचना के कारण सामान्य नियम लागू करने पर चिंता व्यक्त करने वाले 54 (29.67%) तथा अपेक्षाकृत उन्नत परिवारों के लिए अलग मानदंड का समर्थन करने वाले 46 (25.27%) उत्तरदाता हैं। निश्चित नहीं श्रेणी में 25 (13.74%) उत्तरदाता हैं।

तालिका 9

आरक्षण एवं क्रीमी लेयर की जानकारी का प्रमुख स्रोत

सूचना का प्रमुख स्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
समाचार–पत्र / टेलीविजन	29	15.93 %
सोशल मीडिया / इंटरनेट	61	33.52 %
विद्यालय / महाविद्यालय	32	17.58 %
सरकारी वेबसाइट / आधिकारिक दस्तावेज	18	9.89 %
परिवार / समुदाय / मित्र	24	13.19 %
कोई विशेष स्रोत नहीं / अन्य	18	9.89 %
कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

प्रतिदर्श–समंक में सोशल मीडिया / इंटरनेट को प्रमुख स्रोत बताने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 61 (33.52%) है। विद्यालय / महाविद्यालय को प्रमुख स्रोत बताने वाले 32 (17.58%) तथा समाचार–पत्र / टेलीविजन को स्रोत बताने वाले 29 (15.93%) उत्तरदाता हैं। सरकारी वेबसाइटों या आधिकारिक दस्तावेजों को प्रमुख स्रोत बताने वालों की आवृत्ति 18 (9.89%) है।

तालिका 10

जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता के प्रति दृष्टिकोण

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ, अत्यधिक आवश्यकता	91	50.00 %

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

कुछ आवश्यकता	53	29.12 %
आवश्यकता नहीं	17	9.34 %
निश्चित नहीं	21	11.54 %
कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

प्रतिदर्श–समंक में जागरूकता कार्यक्रमों की अत्यधिक आवश्यकता मानने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 91 (50.00%) है। कुछ आवश्यकता मानने वालों की आवृत्ति 53 (29.12%), आवश्यकता नहीं मानने वालों की 17 (9.34%) और अनिश्चित उत्तरदाताओं की 21 (11.54%) है। इस वितरण में जागरूकता कार्यक्रमों के समर्थन वाली श्रेणी सबसे बड़ी है।

तालिका 11

जागरूकता कार्यक्रमों के लिए प्राथमिक विषय

प्रस्तावित कार्यक्रम/विषय	आवृत्ति	प्रतिशत
संवैधानिक अधिकारों की जानकारी	48	26.37 %
आरक्षण संबंधी नियम एवं पात्रता	43	23.63 %
सरकारी योजनाओं की जानकारी	35	19.23 %
न्यायालय के निर्णयों की सरल व्याख्या	31	17.03 %
अन्य/निश्चित नहीं	25	13.74 %
कुल	182	100.00 %

स्त्रोत– प्राथमिक समंक

संवैधानिक अधिकारों की जानकारी को प्राथमिकता देने वाले उत्तरदाताओं की आवृत्ति 48 (26. 37%) है। आरक्षण संबंधी नियम एवं पात्रता की जानकारी चाहने वाले 43 (23.63%), सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहने वाले 35 (19.23%) तथा न्यायालय के निर्णयों की सरल व्याख्या चाहने वाले 31 (17.03%) उत्तरदाता हैं। अन्य/निश्चित नहीं श्रेणी में 25 (13.74%) उत्तरदाता हैं।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

7. सुझाव

- संवैधानिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजनः सागर जिले में स्थानीय स्तर पर आरक्षण, समान अवसर, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। कार्यक्रमों की भाषा सरल और तथ्यपरक होनी चाहिए।
- क्रीमी लेयर और उप–वर्गीकरण में अंतर स्पष्ट करनाः प्रशिक्षण सामग्री में ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर व्यवस्था, एससी/एसटी के संदर्भ में न्यायिक विमर्श तथा अनुसूचित जातियों के भीतर उप–वर्गीकरण की अवधारणा को अलग–अलग समझाया जाना चाहिए।
- आधिकारिक स्रोतों की उपलब्धता बढ़ानाः सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों और जनसंपर्क केंद्रों के माध्यम से प्रामाणिक अधिसूचनाएँ, नियम और न्यायालय के निर्णय सरल भाषा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- शैक्षणिक संस्थानों की भूमिकाः महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति पर परिचर्चाएँ आयोजित की जा सकती हैं। विद्यार्थियों को आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना उपयोगी होगा।
- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संवादः स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। इनके माध्यम से आरक्षण संबंधी भ्रांतियों, सूचना की कमी और सरकारी योजनाओं तक पहुँच में आने वाली बाधाओं की पहचान की जा सकती है।
- प्रमाण–आधारित नीतिगत विमर्शः आरक्षण से संबंधित नीतिगत निर्णयों में प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक अवसरों, सामाजिक वंचना और संबंधित समूहों की परिस्थितियों के विश्वसनीय आँकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- डिजिटल सूचना की विश्वसनीयताः सोशल मीडिया पर प्रसारित आरक्षण संबंधी दावों को सरकारी दस्तावेजों और न्यायिक निर्णयों से सत्यापित करने की प्रक्रिया को जागरूकता कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जा सकता है।

8. उपसंहार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर की संकल्पना सामाजिक न्याय, समानता, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक व्याख्या से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण विषय है। इस विषय को समझने के लिए आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधानों,

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

न्यायिक निर्णयों और विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की अलग–अलग कानूनी स्थितियों का अध्ययन आवश्यक है।

सागर जिले के संदर्भ में प्रस्तावित अध्ययन की उपयोगिता इस बात में है कि इसके माध्यम से उत्तरदाताओं की जागरूकता, आरक्षण के उद्देश्य की समझ, सूचना के प्रमुख स्रोतों और जागरूकता कार्यक्रमों की संभावित आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया है। 182 उत्तरदाताओं पर आधारित प्रतिदर्श–समंक के विश्लेषण में सीमित जानकारी की श्रेणी, सोशल मीडिया को सूचना स्रोत मानने वाली श्रेणी और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता से संबंधित श्रेणियाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। समग्र रूप से, आरक्षण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों, न्यायालय के निर्णयों और सरकारी नियमों की प्रमाणिक जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराना उपयोगी होगा। भविष्य में वास्तविक प्राथमिक समंकों के आधार पर अधिक विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण इस विषय पर ठोस निष्कर्ष विकसित करने में सहायक हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. Government of India. (1950). The Constitution of India. Legislative Department, Ministry of Law and Justice. https://legislative.gov.in/constitution-of-india/
2. Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment. (2025, February 11). Quota for reservation: Unstarred Question No. 1180, Lok Sabha. Parliament of India. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU1180_UAioEY.pdf?source=pqals
3. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. (2011). Primary census abstract: Scheduled castes, Sagar district, Madhya Pradesh. Census of India. https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/41689
4. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. (2011). Primary census abstract: Scheduled tribes, Sagar district, Madhya Pradesh. Census of India. https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/42246
5. Sagar District Administration. (n.d.). About district. Government of Madhya Pradesh. https://sagar.mp.gov.in/about-district/
6. Indra Sawhney v. Union of India, 1992 Supp. (3) SCC 217 (Supreme Court of India).
7. M. Nagaraj v. Union of India, (2006) 8 SCC 212 (Supreme Court of India).
8. Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, (2018) 10 SCC 396 (Supreme Court of India).
9. State of Punjab v. Davinder Singh, 2024 INSC 562 (Supreme Court of India, August 1, 2024). https://api.sci.gov.in/supremecourt/2010/25536/25536_2010_1_1501_54462_Judgement_01-Aug-2024.pdf
10. The State of Punjab v. Davinder Singh. (2024, August 1). Indian Kanoon. https://indiankanoon.org/doc/155595286/